न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र नम्बर :– 41/2025

जीसीएमएस नम्बर :– 2025/284

अनवान

1. मांगु पिता रूपा बोला (रेगर) निवासी गलवा तहसील रायपुर हाल निवास डिंगरोल तहसील आमेट
2. बंशीलाल उर्फ मोहनलाल पिता डालुलाल रेगर नि.गलवा तह.रायपुर हाल नि.बिनोल तह.आमेट

प्रार्थीगण

बनाम

1. पन्नालाल पिता अमरा बैरवा निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लेहरू पिता कुशाल बैरवा निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सवाई पिता कुशाल बैरवा निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. तहसीलदार एवं पदेन उपपंजीयक रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन रंगरेज – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांकः– 26/5/2026

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि –

1. प्रार्थीगण के पिता व दादा जी रूपा जी ग्राम गलवा के मूल निवासी थे तथा भूमीहीन होने से ग्राम गलवा तहसील रायपुर में भुदान बोर्ड द्वारा प्रार्थीगण के पिता व दादा जी को साबिक आ.सं 542/3 मी रकबा 7 बीघा भूमी दान दी थी जिस पर प्रार्थीगण के पिता व दादा जी ने काफी अंग मेहनत व लागत लगाकर उसे उपजाउ बनाया तथा उस पर काश्त कर अपना व अपने परिवार का लालन पोषण करते चले आ रहे थे। प्रमाण में साबिक जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 2066 की प्रार्थनापत्र के साथ पेश हैं।
2. प्रार्थीगण के पिता व दादा की मृत्यु के पहले ही प्रार्थी संख्या दो के पिता डालु की मृत्यु हो गई थी तथा प्रार्थीगण के दादा व पिता की मृत्यु सन् 1979 में होने पर प्रार्थनापत्र की कलम सख्या एक में वर्णित साबिक आराजियात जरिए नामान्तरण सख्या 450 दिनांक 10.05.1979 के प्रार्थीगण के नाम दर्ज हो गई। प्रार्थी संख्या दो का बोलता घर का नाम बंशी होने से राजस्व जामाबदी में प्रार्थी संख्या दो का नाम बंशी दर्ज कर दिया गया तथा अन्य सरकारी दस्तावेजो में प्रार्थी संख्या दो का नाम मोहनलाल हैं। बंशीलाल व मोहनलाल दोनो नाम प्रार्थी संख्या दो के ही हैं। प्रार्थीगण के पिता व दादा जी की मृत्यु के पश्चात उक्त वादग्रस्त भूमी पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)रायपुर

3. वादग्रस्त आराजियात सम्वत् 2050 से 2053 तक भुदान बोर्ड व प्रार्थीगण के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज चली आ रही थी परंतु प्रार्थीगण अपनी मजदूरी के कारण ग्राम बिनोल व डिंगरोल में निवास करने लग गए जिससे प्रार्थीगण अपनी भूमी पर कभी कभी आते जिसका नाजायज फायदा उठाकर विपक्षीगण के पिता व दादा कुशाल पिता नंदा चमार निवासी गलवा ने ग्राम गलवा में सम्वत् 2054 में भुप्रबन्ध की कार्यवाही होने से भुप्रबंध अधिकारियो एवं कर्मचारियो तथा तत्कालीन पटवार हल्का से सांठ गांठ कर प्रार्थीगण के पिता व दादा जी रूपा को दान की गई भूमी जो प्रार्थीगण के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज चली आ रही थी को फर्जी तरीके से बिना किसी विधिक आदेश के अपने नाम दर्ज करवा ली जो गलत होकर अवैध है। सम्वत् 2054 में भुप्रबंध के दौरान राजस्व रेकॉर्ड में बिना किसी विधिक आदेश के प्रार्थीगण का नाम हटाने का अधिकार भुप्रबंध विभाग के अधिकारी व कर्मचारियो तथा रेवेन्यु एजेन्सी को नहीं हैं। रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा भुप्रबंध के दौरान सम्वत् 2054 की खसरा मिलान में अवैध तरीके से प्रार्थीगण का नाम हटाकर विपक्षीगण के पिता व दादा कुशाल अंकित कर दिया तथा उसके आगे अवैध रूप से इंतकाल संख्या 757 अंकित कर दिया जबकि ईंतकाल सख्या 757 अन्य व्यक्तियों का हैं। इस तरह रेवेन्यु एजेन्सी व भुप्रबंध विभाग द्वारा अवैध तरीके से राजस्व जमाबंदी में विपक्षीगण के पिता व दादा कुशाल का नाम अंकित कर दिया है तथा कुशाल की मृत्यु के पश्चात विपक्षीगण का नाम दर्ज हो गया जो गलत होकर अवैध है। जिससे बहक प्रार्थीगण विरूद्व विपक्षीगण इस आशय की इन्द्राज दुरूस्ती की घोषणात्मक डिक्री सादिर फरमाई जाए कि वादग्रस्त साबिक आराजी संख्या 542/3मी रकबा 7 बीघा जिसके नवीन नम्बर 827 रकबा 1.51 है0 से विपक्षीगण का नाम हटाकर प्रार्थीगण का नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाए।

4. प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला हैं विपक्षीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है तथा अवैध एवं फर्जी तरीके से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को विपक्षीगण के नाम दर्ज कर दिया गया तथा सम्पूर्ण भूमि विपक्षीगण के नाम पर दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करनें रहन, बय, बक्षीस करने पर आमादा है। जिससे बहक प्रार्थीगण विरूद्व विपक्षीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाया जाया न्यायोचित हो गया है।

5. अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि बहक प्रार्थीगण विरूद्व विपक्षीगण ताफैसला मूलवाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावे कि ग्राम गलवा में स्थित खाता संख्या 372 में अंकित आराजी संख्या 827 रकबा 1.51 है0 भूमि को विपक्षीगण किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस नहीं करे एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे तथा तथा प्रार्थीगण को जबरन बेदखल नहीं करें तथा प्रार्थीगण को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। यदि दौराने वाद विपक्षीगण वादगस्त भूमि को रहन, बय, बक्षीस कर प्रार्थीगण को जबरन बेदखल कर देवे तो जरिए आदेशात्मक आज्ञा के पुनः प्रार्थीगण के नाम दर्ज करवा कब्जा पुनः प्रार्थीगण को दिलाने का आदेश प्रदान फरमाया जाए।

6. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.12.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन जारी किए गए। सम्मन की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)रावपुर

से दिनांक 11.05.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं विपक्षी संख्या 4 तहसीलदार रायपुर औपचारिक पक्षकार है।

7. प्रकरण में प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी संख्या 542/3 मी 7 बीघा भूमि को रूपा को भूमिहीन होने से भूदान बोर्ड द्वारा दान की गई तब से ही रूपा काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा था। साबिक जमाबन्दी संवत 2033 से 2036 में रूपा के नाम पर नामान्तरण गैर खातेदारी से दर्ज हुआ था। साबिक जमाबन्दीयों में रूपा का नाम लगातार गैर खातेदारी से दर्ज चला आ रहा था। वादी के पिता डालु की मृत्यु के दादा रूपा से पूर्व हो जाने से रूपा की मृत्यु के पश्चात् विरासत से प्रार्थी का बोलता नाम बंशीलाल राजस्व दस्तावेज में दर्ज हुआ। प्रार्थी का अन्य दस्तावेजो में नाम मोहनलाल है एवं बंशीलाल उसका बोलता नाम है। डालु की मृत्यु के समय प्रार्थी बंशीलाल (मोहनलाल) केवल 4 वर्ष का था जिसका लालन पालन दादी व काका ने किया है। प्रार्थी मजदूरी करने बाहर चले गए है। विपक्षी के पिता व दादा ने संवत 2054 में गलत तरीके बिना किसी विधिक आदेश से अपने स्वयं के नाम प्रार्थी के स्थान पर वादग्रस्त आराजियात में दर्ज करा दिए। संवत 2054 में भु प्रबन्ध विभाग के दस्तावेज में वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थी बंशीलाल पिता डालु मांगु पिता रूपा सा.देह गैर खातेदार के स्थान पर विपक्षी कुशाल पिता नन्दा चमार को गैर खातेदार के रूप में अंकित कर दिया गया है। राजस्थान भूदान बोर्ड 2008 अधिनियम में संशोधन के निर्देश के अनुसार विपक्षी को खातेदारी अधिकार मिल गए है। प्रार्थी के नाम आराजियात को अवैध रूप से गैर खातेदारी से विपक्षी के पिता व दादा के नाम दर्ज कर दी गई। दान में प्राप्त हुई भूमि के प्रार्थीगण मालिक है जिसको रहन, बय, बक्षीय कर गई तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाए।

8. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करते हुए प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर विचार किया तो पाया कि पत्रावली में संलग्न राजस्व दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियों में संवत 2033 से 2036 की जमाबन्दी में आराजी संख्या 542/3मी रकबा 7 बीघा भुदान बोर्ड गैर खातेदार रूपा पिता हीरा बोला के नाम अंकित थी तथा दिनांक 12.05.1979 को विरासत के नामान्तरण से रूपा के बजाय बंशी पिता डालु के नाम दर्ज हुई। इसके पश्चात् संवत 2050 से 2053 तक वादग्रस्त आराजियात बंशीलाल पिता डालु के नाम दर्ज रेकार्ड रही। वादग्रस्त आराजियात संवत 2057 से 2076 में भुदान बोर्ड कुशाल पिता नन्दा चमार के नाम दर्ज रेकार्ड है। संवत 2054 के भुप्रबन्ध विभाग के दस्तावेज में इन्काल संख्या 757 अंकित करते हुए वादग्रस्त आराजियात को प्रपत्र की कलम संख्या 22 में गत कृषक में भुदान बोर्ड बंशी पिता डालु मांगु पिता रूपा सा.देह गैर खातेदार के अंकन के साथ कुशाल पिता नन्दा चमार सा.देह गैर खातेदार अंकित है तथा कलम संख्या 23 वर्तमान कृषक में कुशाल पिता नन्दा चमार सा.देह गैर खातेदार अंकित है। ग्राम गलवा का नामान्तकरण संख्या 757 खसरा संख्या 8 व 9 जिसके खातेदार सांगावत धर्मपत्नि शिवनाथ सिंह राजपूत द्वारा किए गए बैचान से जुड़ा नामान्तरण है। अतः प्रथम दृष्टयता मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। तथा सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। वादग्रस्त भूमि को रहन, बय, बक्षीस कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है एवं मौके पर विवाद उत्पन्न होने की आंशका रहेगी एवं मौके पर परिवर्तन होने पर प्रकरण के

सहायक कलक्टर
(उप खंड अधिकारी) रायपुर

विचारण एवं निर्णयन में अनावश्यक विलम्ब होगा तथा विवादो की बहुलता की संभावना बनती है। ऐसी स्थिति में मूलवाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:: आदेश ::—

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार कर मूलवाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम गलवा में स्थित खाता संख्या 372 में अंकित आराजी संख्या 827 रकबा 1.51 है0 भूमि को विपक्षीगण किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस नहीं करे एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे तथा तथा प्रार्थीगण को जबरन बेदखल नहीं करें तथा प्रार्थीगण को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। इस प्रकरण संख्या 41/2025 में पूर्व में इस न्यायालय द्वारा जारी यदि कोई आदेश हो तो उसे इस आदेश से प्रतिस्थापित किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 26/5/2026 को सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा
(एस.डी.ओ.)रायपुर